INDORE DISTRICT COLLECTOR

INDORE Division

Fire Safety Certificate

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

जावक क्रमांक/Dispatch Number	जावक तिथि / Dispatch Date	आवेदन तिथि / Application Date
CB-2600000690/FNOC/COL/2026/18482	21-08-2026	12-08-2026

आवेदन क्रमांक / Application No. :	CB-2600000690	**अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC :**	Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :	Storage Building / भंडारण भवन	**भवन की ऊँचाई (मीटर) / Building Height (Mtr) :**	12.0
निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर) / Built-up Area (Sq.Mtr) :	2783.16	**सड़क के स्तर से भवन की ऊंचाई (मीटर) / Building height From Road level(Mtr) :**	12.0
भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) / Plot Area (Sq.Mtr) :	2800.0		

आवेदक का नाम / Applicant Name : JK INTERNATIONAL SCHOOL MOTHERLAND ENGLISH SCHOOL SHIKSHA SAMITI

संपत्ति का पता / Property Address : KHASRA NO. 91/1 AT PREMIUM PARK GRAM JAKHYA, TEH SANWER, DISTT INDORE

आवेदक का पता / Applicant Address : 3, AHD-Sukhliya वार्ड :ward 33 जोन :जोन 07, नगर निगम इंदौर नगर निगम, इंदौर जिला :इन्दौर

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority

अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) निम्नलिखित शर्तों पर जारी किया जाता है :-

1.उद्योग/स्टोरेज भवन में स्थापित समस्त अग्निशमन उपकरणअें का रखरखाव नियमित अंतराल में एवं हमेशा ऑपरेशनल/चालू स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा, जिसका रिकॉर्ड विधिवत रखा जाना चाहिए। भवन में कार्यरत/उपलब्ध समस्त अधिकारियअें/कर्मचारियअें को अग्निशमन उपकरणअें के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।

Signature valid

Signed by: SHREE R[illegible]HAN RA[illegible]
Reason: Apply for NOC
Location: 22
Date: 24-08-2026

E-sign

Indore District Collector
Indore Division, Madhya Pradesh

सचिव
मदरलैंड इंग्लिश स्कूल शिक्षा समिति, इन्दौर

अध्यक्ष
मदरलैंड इंग्लिश स्कूल शिक्षा समिति, इन्दौर

PRINCIPAL
J. K. INTERNATIONAL SCHOO
INDORE (M.P.)

2. उद्योग/स्टोरेज भवन में स्थापित समस्त अग्निशमन उपकरणऒं का रखरखाव नियमित अंतराल में एवं हमेशा ऑपरेशनल/चालू स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा, जिसका रिकॉर्ड विधिवत रखा जाना चाहिए। भवन में कार्यरत/उपलब्ध समस्त अधिकारियऒं/कर्मचारियऒं को अग्निशमन उपकरणऒं के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।

3.उद्योग/स्टोरेज भवन में संभावित अग्निदुर्घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण हेतु आपातकालीन योजना बनाना आवश्यक है, जिसमें शामिल समस्त बिंदुओं जैसे मॉक ड्रिल, लाइफ सेफ्टी ड्रिल, अग्निशमन उपकरणऒं का संचालन, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अग्निदुर्घटना की स्थिति में स्थल में कार्यरत कर्मचारियऒं को सुरक्षित बाहर निकालने/निकालने का अभ्यास नियमित अंतराल में किया जाना आवश्यक होगा।

4.उद्योग/स्टोरेज भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु स्थापित स्टैंडपाइप एवं सक्शन/राइजर/डाउनकमर/स्प्रिंकलर पाइपऒं का हाइड्रोस्टैटिक परीक्षण IS : 25 में प्रावधानित नियमऒं के आधार पर प्रति पाँच वर्षों में एक बार कराना अनिवार्य होगा।

5.उद्योग/स्टोरेज भवन की फर्स्ट एड अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु भवन के अग्निदुर्घटना संभावित स्थलऒं जैसे इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, पैनल, स्टोर रूम, रसोई घर एवं कॉरिडोर में IS : 2190 में प्रावधानित नियमऒं के आधार पर रखे गए फायर एक्सटिंग्विशर को निर्धारित अवधि में रखरखाव, टेस्टिंग तथा रिफिलिंग का कार्य किया जाना अनिवार्य होगा।

6.उद्योग/स्टोरेज भवन में फायर वाहन की बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा मार्गदर्शिका अनुसार प्रावधानित MOS को हमेशा बाधा रहित रखना अनिवार्य होगा एवं भवन के सभी फ्लोर एरिया के बाहरी निकासऒं को हमेशा निर्बाध रूप से खुला रखा जाना आवश्यक होगा।

7.उद्योग/स्टोरेज भवन की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु प्रतिवर्ष 30 जून तक फायर सेफ्टी ऑडिट (जिसमें अग्निशमन उपकरणऒं की जांच, फायर अलार्म सिस्टम एवं अग्निसुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा आदि शामिल हऒं) एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट (विद्युत उपकरणऒं/तारऒं की जांच एवं विद्युत सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा) निर्धारित अवधि एवं प्रपत्रऒं में करना आवश्यक होगा, ताकि सुरक्षा मानकऒं का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

8.उद्योग/स्टोरेज भवन में हाउसकीपिंग का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है। साथ ही परिसर के अंदर धूम्रपान एवं चिंगारी पैदा करने वाले उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित होने चाहिए और परिसर को झाड़ियऒं, सूखी वनस्पतियऒं एवं ज्वलनशील पदार्थों से मुक्त रखा जाना आवश्यक है।

9.अग्निसुरक्षा संचालन व्यवस्था हेतु बड़े उद्योग/स्टोरेज भवनऒं की श्रेणी अनुसार प्रशिक्षित अग्निशमन अधिकारी/कर्मचारियऒं को नियमित रूप से रखना अनिवार्य है एवं नियंत्रण कक्ष में Emergency Kit, PPE एवं First Aid को नियमानुसार हर समय उपलब्ध रखना आवश्यक होगा।

10.उद्योग/स्टोरेज भवनऒं की अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु स्थापित उन्नत सेफ्टी उपकरणऒं Spark Arrester, Flame Arrester एवं Surge Arrester के संचालन का तकनीकी परीक्षण एवं रखरखाव समय-समय पर करना आवश्यक होगा।

11.उद्योग/स्टोरेज भवन की अग्निसुरक्षा में कार्यरत कर्मचारियऒं की ड्यूटी निर्धारित किया जाना आवश्यक है। अग्निशमन उपकरणऒं की प्रेशर टेस्टिंग, हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग, फायर पंप का प्रेशर सेटिंग, पानी की उपलब्धता एवं रिफिलिंग आदि कार्य का चेकिंग सिस्टम तैयार कर, टेस्ट रिपोर्ट रोजाना, साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक का संधारण रजिस्टर में नियमित रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा।

12.आवेदकऒं/भवन स्वामी को प्रदाय किया जा रहा अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) जारी दिनांक से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। अवधि समाप्त होने के 1 माह पूर्व अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र (Fire Safety Certificate) के नवीनीकरण हेतु enagarpalika.mp.gov.in में विधिवत आवेदन करना होगा।

Signature valid

Signed by: SHREE R[illegible]AN
RA[illegible]
Rea[illegible] [illegible]pply for NOC
Location: 22
Date: 24/08/2026

E-sign

Indore District Collector
Indore Division, Madhya Pradesh

सचिव
मदरलैंड इंग्लिश स्कूल शिक्षा समिति, इन्दौर

अध्यक्ष
मदरलैंड इंग्लिश स्कूल शिक्षा समिति, इन्दौर

J. K. INTERNATIONAL SCHOOL
INDORE (M.P.)